प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 11.12.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6888 द्वारा दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6888 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बेलहरखुर्द से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियो (1.दिनेश पुत्र फुलचन्द्र सा0 बरगदवा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2.शिवम पुत्र रामधुन चौधरी 3.सचिन पुत्र रामदेव सा0 तिउरानी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तिओं को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 पवन चौधरी, का0 विवेक कुमार, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 वाहनों से 1,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 160 वाहनों से 1,80,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 24.06.2006 को अभियुक्त वीरेन्द्र नाथ मिश्रा पुत्र रामनाथ मिश्रा निवासी बिसरापार थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को पीठीयाँ गाँव के पहले पुलिया के पास से 01 अदद कट्टा व 03 अदद कारतूस बरामद करते हुए के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 317/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री शेषनाथ पाण्डेय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को 03 माह की परिवीक्षा व 25000 रु0 के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02 प्रतिभू व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0 न्यायालय– सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्तों को 03 माह की परिवीक्षा व 25000 रु0 के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02 प्रतिभू व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक- 13.02.2014 को वादी सुनील कुमार चौधरी पुत्र दयाराम चौधरी निवासी चंगेरा मंगेरा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर अभियुक्त नाम पता चिन्ताहरण पुत्र जंगबहादुर चौधरी जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 128/2014 धारा 352/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

सजा विवरणः-

उक्त मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए मु0-25000/-रुपये के निजी बंध-पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के समक्ष निर्णय की तिथि से सात दिवस के अन्दर निष्पादित करेंगे तथा इस आशय की सूचना मा0 न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा परिवीक्षा अधिनियम की समय सीमा 01 वर्ष के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्तगण को तलब कर उन्हे दण्डादेश के बिन्दू पर सुनकर उनके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करें और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अभियुक्त को 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 11.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट के मामलें में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 06.04.2010 को वादिनी इसरावती देवी पत्नी जगलाल निवासिनी दरुआमाफी थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. सुदर्शन पुत्र घुरहू व 02. जनार्दन पुत्र सुदर्शन निवासीगण दरुआमाफी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट कर चोट पहुँचाने व गाली गलौज करते हुए जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद पर एन0सी0आर0 103/2010 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक उ0नि0 श्री कौशलेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण को जुर्मस्वीकारोक्ति के न्यायालय उठने तक का कारावास व धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड व धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 500-500 रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 25-25 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।